महत्वपूर्ण

संख्या– 422 (हस्तलिखित) /आठ–2–11–74मा.का.यो./11

प्रेषक,

आलोक कुमार
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक 06 ~~मई~~ 5 , 2011

विषय–मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के क्रियान्वयन हेतु संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना (तृतीय चरण) के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–972/आठ–2–11–247सा./08 टी.सी.–1 दिनांक 09–4–2011 द्वारा संशोधित विस्तृत नीति एवं दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनासदेश के प्रस्तर–7 में यह व्यवस्था की गयी है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा नगर निगम क्षेत्र में भूतल+3 मंजिल, नगर पालिका क्षेत्र में भूतल+2 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल+1 मंजिल भवनों का निर्माण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कतिपय जनपदों द्वारा कम भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत नगर पालिका क्षेत्र में भूतल+3 मंजिल तथा टाउन एरिया/नगर पंचायत क्षेत्र में भूतल+2 मंजिल भवन निर्माण करने के लिए शासन से सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर पर यह परीक्षण कर लें कि यदि संबंधित जनपद में दिशा–निर्देशों के अनुरूप जी+1 एवं जी+2 भवन बनाने पर बिना ओवरहैड टैंक के जलापूर्ति सम्भव है

तो जी+1 या जी+2 (दिशा–निर्देशों में निर्दिष्टि व्यवस्थानुसार) का निर्माण किया जाय। यदि जी+1 या जी+2 के लिए भी ओवरहैड टैंक बनाना आवश्यक है और भूमि की उपलब्धता सीमित है, तो जी+3 मंजिल के भवनों का निर्माण करा लिया जाय। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्या– 422 आ0प0 (1)/आठ–2–11– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्केट लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की प्रति समस्त जिलाधिकारियों को **फैक्स/ई–मेल** से प्रेषित करते हुए इसे **विभागीय बेवसाइट** पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
उप सचिव।

अभियन्त्रण अनुभाग (कन्ट्रोल रूम)

पत्रांक 2685 /m-51/शासनादेश–III, दिनांक 7.6.2011

प्रतिलिपि: ① समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक ग्लोबल सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

② इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड हेतु

(एम.पी. वैश्य)
नोडल अधिकारी